

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
(खनिज शाखा)
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

विषय:-खसरा नंबर 179/2/1 एवं 180/1/1 पर एफ.आर.ए. की अनुमति प्रदान करने
बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे द्वारा खसरा नंबर 179/2/1 एवं 180/1/1 पर पटवारी हल्का
नं. 28 रकबा 18.9 हेक्टेयर, ग्राम केशरीपुरा, तहसील लवकुशनगर में ग्रेनाइट पत्थर के
उत्खनन हेतु आवेदन किया गया है।

उपरोक्त भूमि शासकीय वन भूमि है। हमें उक्त जमीन पर श्रीमान खनिज संचालक
महोदय भोपाल ने सैद्धांतिक अनुमति इस शर्त पर दी है कि हम वन संरक्षण अधिनियम, 1980
के प्रावधानों का निराकरण करें।

महोदय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु हमें एफ.आर.ए.
की आवश्यकता होगी।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हमें उक्त खसरा नंबर पर एफ.आर.ए. की अनुमति
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

संलग्न:-

1. सैद्धांतिक अनुमति की प्रति।
2. खसरा एवं नक्शे की प्रति।

(एम.के.मीना)
डायरेक्टर

